आरोग्य भवन, मुंबई या इमारतीच्या स्वच्छता व सफाई व बगीचा विकसन व देखभाल सेवा पुरविण्यात आलेल्या मे. गरुडझेप स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था (मर्या.), सातारा यांच्या प्रलंबित देयकास मान्यता देणेबाबत...

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शासन निर्णय, क्रमांकः देयके-२०२४/प्र.क्र.१२४/आरोग्य ३अ

१० वा मजला, संकुल इमारत, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. दिनांक : २८ मार्च, २०२४.

वाचा:

सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे प.क्र.-आसेआ/आ.भ./ भां.वि/स्वच्छता सेवा/प्रस्ताव /न.क्र.०२८७/भाग.२/जा.क्र.५८६/२०२४, दि.१४.०३.२०२४.

प्रस्तावना:

दिनांक १०.१०.२०२२ रोजीच्या केंद्रीय खरेदी समितीच्या बैठकीमध्ये मे. गरुडझेप स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. सातारा यांना आरोग्य भवन इमारतीच्या स्वच्छता व सफाई, बागीच्या विकसन व देखभाल सेवा पुरविण्याकरीता दिनांक ०१ मार्च २०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आरोग्य भवन इमारतीच्या स्वच्छता व सफाई, बागीच्या विकसन व देखभाल सेवा पुरविण्याकरीता निवीदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून दि.०८.०६.२०२० च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार आयुक्तालयातील खरेदी कक्षामार्फ़त सदर सेवेसाठी नवीन सेवा पुरवठादार नियुक्त होत नाही तोपर्यंत मे. गरुडझेप स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. सातारा यांना आयुक्तालयाच्या दि.०३.०१.२०२४ च्या आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मे. गरुडझेप स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. सातारा या पुरठादाराच्या माहे ०१ मार्च, २०२३ ते ३१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

शासन निर्णय:

आरोग्य भवन, मुंबई या इमारतीच्या स्वच्ठता व सफाई, बगीचा विकसन व देखभाल सेवा पुरविण्याकरीता विहित पध्दतीने नियुक्त केलेल्या मे. गरुडझेप स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. सातारा या संस्थेची/पुरवठादाराची माहे ०१ मार्च, २०२३ ते ३१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीतील प्रलंबित देयके, एकूण रु.१६,६२,५२२/- (रुपये सोळा लक्ष, बासष्ट हजार, पाचशे बावीस फ़क्त) खालील अटीच्या अधिन राहून अदा करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

| No. | Bill No. | Date | Period | Amount (1) | C-GST | S-GST | Total |
|-----|-----------------|------------|---------------|-------------|----------|----------|------------|
| | | | | (As Per Job | (9%) | (9%) | payable |
| | | | | Order) | | | Amount |
| 1 | G-01 | 06.04.2023 | 01.03.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 31.03.2023 | | | | |
| 2 | G-02 | 04.05.2023 | 01.04.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 30.04.2023 | | | | |
| 3 | G-03 | 05.06.2023 | 01.05.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 31.05.2023 | | | | |
| 4 | G-04 | 06.07.2023 | 01.06.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 30.06.2023 | | | | |
| 5 | G-05 | 01.08.2023 | 01.07.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 31.07.2023 | | | | |
| 6 | G-06 | 07.09.2023 | 01.08.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 30.08.2023 | | | | |
| 7 | G-07 | 05.10.2023 | 01.09.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 30.09.2023 | | | | |
| 8 | G-08 | 02.11.2023 | 01.10.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 31.10.2023 | | | | |
| 9 | G-09 | 07.12.2023 | 01.11.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 30.11.2023 | | | | |
| 10 | G-10 | 04.01.2024 | 01.12.2023 To | 140891.67 | 12680.25 | 12680.25 | 166252.17 |
| | | | 31.12.2023 | | | | |
| | | | | | | | 1662521.70 |
| | Total round off | | | | ound off | 1662522 | |
| | | | | | | | |

अटी व शर्ती:-

- 9) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील.
- २) सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/शासन निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील.
- 3) सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील.
- ४) महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्र. १५१(१) मध्ये विहीत करण्यात आलेला नमूना साक्षांकित केल्याची खात्री करावी.
- ५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३० /२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-चार मधील अ.क्र.११, नियम क्र.११ मधील स्तंभ क्र.५ मधील अ.क्र. ३ येथील तरतूदींचे पालन करण्यात यावे.

- २. सदर प्रस्तावावरील खर्च, मागणी क्र. आर १, मुख्य लेखािशर्ष :- २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजिनक आरोग्य, ०६-सार्वजिनक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण/कुटीर रूग्णालयाचे उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) १०-कंत्राटी सेवा यामधून सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- ३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिल, २०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-चार मधील अनुक्रमांक ११, नियम क्र. ११ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमूद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१३२३८०२१७ असा आहे. आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(अ.भि.मोरे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

- १. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर.
- २. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई
- ३. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई.
- ४. अधिदान व लेखा अधिकारी, कस्तुरी बिल्डिंग, मुंबई.
- ५. निवडनस्ती (आरोग्य-३).